



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24190-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 16868/2025

भारत संघ एवं 2 अन्ययाचीगण

बनाम

मोहम्मद शमीमप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: एस.पी. सिंह, ए.एस.जी.आई. साथ में विवेक कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार सिंह को सुना गया।
- यह रिट याचिका दिनांक 20.03.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद ("अधिकरण") ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर प्रकीर्ण आवेदन संख्या 301/2021 को स्वीकार कर लिया है और वर्तमान याचीगण को निर्देश दिया है कि वे पेंशन संबंधी लाभों (पेंशन सहित) के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी की आकस्मिक नियोजन के प्रति पिछली सेवाओं की गणना करें, जो कि उनकी नियुक्ति की तिथि से अस्थायी स्थिति प्राप्त होने तक (50%) और उसके पश्चात अस्थायी स्थिति की तिथि से नियमितीकरण की तिथि तक (100%) होगी; यह प्रक्रिया छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी है। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.10.2024 के आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसके द्वारा याचीगण द्वारा दायर पुनर्विलोकन आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
- तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी को प्रारंभ में 10.11.1975 से आकस्मिक आधार पर कमीशन वेटर के रूप में नियुक्त किया गया था और 120 दिन पूरे होने पर उसे अस्थायी स्थिति प्रदान की गई थी। इसके पश्चात, याचीगण ने नियमित आमेसन के लिए स्क्रीनिंग की, जिसे दिनांक 01.03.1983 के आदेश द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 02.03.1983 को परिणाम घोषित किया गया जिसमें प्रत्यर्थी का नाम सूची में दर्शाया गया था।
- अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी का मामला यह था कि यद्यपि उसके समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों को आमेलित कर लिया गया था, लेकिन उसे बिना किसी कारण के आमेलित नहीं किया गया और यद्यपि उसके द्वारा 17.08.1983 को प्रत्यावेदन दिया गया था जिसके बाद अनुस्मारक भी भेजे गए थे, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ अन्य पत्रों का संदर्भ देते हुए, प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसकी सेवाओं को 10.12.2007 से हेल्पर के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पद पर नियमित किया गया था, और विभाग में 37 वर्षों तक सेवा करने के बाद, वह 31.10.2014 को सेवानिवृत्त हुआ। प्रत्यर्थी ने पेंशन संबंधी लाभों के प्रयोजन के लिए नियमितीकरण तक उसके द्वारा दी गई तदर्थ/अस्थायी सेवा की गणना करने की प्रार्थना के साथ विभिन्न प्रत्यावेदन दिए, लेकिन याचीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया और इसलिए, प्रकीर्ण आवेदन ('ओए') दायर किया गया था।

5. याचीगण द्वारा ओए का विरोध यह रख अपनाते हुए किया गया कि प्रत्यर्थी के सेवा अभिलेख के अनुसार, वाणिज्यिक विभाग के कमीशन वेंडरों की स्क्रीनिंग 01.08.2005, 04.08.2005 और 12.08.2005 को की गई थी; प्रत्यर्थी को उपयुक्त पाया गया और कार्यालय पत्र दिनांक 26.04.2006 द्वारा उसे पैनल में क्रम संख्या 52 पर रखकर ग्रुप 'डी' के अनंतिम पैनल में लाया गया और उसके बाद, वह 12.12.2007 को हेल्पर/सी एंड डब्ल्यू के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और आरबीए दिनांक 19.11.2004 के अनुसार, एक आकस्मिक कर्मचारी को अस्थायी स्थिति प्रदान करना नियमित ग्रुप-डी पद की उपलब्धता के संदर्भ के बिना है। याचीगण का आगे का रुख यह था कि अस्थायी स्थिति प्रदान किए जाने पर आकस्मिक कर्मचारी सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है और चूंकि प्रत्यर्थी को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लागू होने के बाद नियमित किया गया था, इसलिए वह ऐसी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत उपचार का हकदार नहीं होगा।
6. अधिकरण ने पक्षों के मामले पर विचार करने के बाद और माननीय उच्चतम न्यायालय के हबीब खान बनाम उत्तराखंड राज्य : सिविल अपील संख्या **10806/2017** और प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य : **2019 0 सुप्रीम (एससी) 1044** के निर्णयों के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्यर्थी 10.11.1975 से आकस्मिक रूप से कार्यरत था और लगभग 37 वर्षों की सेवा देने के बाद, वह 31.10.2014 को सेवानिवृत्त हुआ और यद्यपि उसकी सेवा तीन दशकों से अधिक की अवधि के बाद 10.12.2007 से नियमित हुई थी, वह ओपीएस के तहत लाभों का हकदार था। अधिकरण ने तदनुसार ओए स्वीकार कर लिया और ऊपर बताए अनुसार राहत प्रदान की।
7. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अधिकरण द्वारा हबीब खान (उपर्युक्त) और प्रेम सिंह (उपर्युक्त) के निर्णयों पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि उन मामलों के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न थे और चूंकि प्रत्यर्थी को वर्ष 2007 में एनपीएस के संदर्भ में पेंशन की नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित किया गया था, इसलिए अधिकरण ने उसे ओपीएस के दायरे में मानते हुए राहत देने में त्रुटि की है। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी की सेवाओं को नियंत्रित करने वाली नियमावली के अध्याय XXIII के अनुसार, स्क्रीनिंग/चयन के बाद अस्थायी/स्थायी/नियमित कैडर में आमेसन से पहले की सेवा की कोई भी अवधि वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी और केवल नियमित नियुक्ति की तिथि ही वरिष्ठता और अन्य पहलुओं को निर्धारित करेगी।
8. हमने दिए गए तर्कों पर विचार किया है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
9. प्रत्यर्थी की सेवा में आने की तिथि, सेवा में उसकी स्थिति, नियमितीकरण, सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति विवाद में नहीं है। वर्तमान मामले में शामिल प्रश्न यह है कि क्या केवल इस तथ्य से कि प्रत्यर्थी को एनपीएस के प्रभावी होने के बाद 10.12.2007 को नियमित किया गया था, प्रत्यर्थी ओपीएस के तहत लाभों का हकदार नहीं होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. अभिलेख के अवलोकन से संकेत मिलता है कि जब याचीगण ओए को स्वीकार करने वाले अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने अधिकरण के समक्ष एक पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें भारत संघ और अन्य बनाम मुंशी राम : सिविल अपील संख्या **2811/2022** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न की गई थी, हालांकि, पुनर्विलोकन आवेदन में निहित आधार संकेत देते हैं कि याचीगण ने मुंशी राम (उपर्युक्त) के मामले के निर्णय को वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग करने का प्रयास किया। पुनर्विलोकन आवेदन में निहित आधार संख्या (सी) और (डी) संकेत देते हैं कि न केवल मुंशी राम (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष किए गए तर्कों को उसमें व्यापक रूप से उद्धृत किया गया था, बल्कि निकाले गए निष्कर्ष को भी उद्धृत किया गया था।
11. त्वरित संदर्भ के लिए, हम मुंशी राम (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 11 और 12 को भी उद्धृत करते हैं:-

"11. उपर्युक्त के आलोक में और ऊपर बताए गए कारणों से तथा 'स्टेयर डिसाइसिस' के सिद्धांत को लागू करते हुए भी, केवल पूर्वोक्त आधार पर, वर्तमान अपीलें खारिज होने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं, यह धारित करते हुए कि उत्तर रेलवे में कार्यरत प्रत्यर्थी-कमीशन वेंडर्स/बियरर्स रेलवे बोर्ड के अधीन कार्यरत अन्य पदाधिकारियों/वेंडरों की तरह, जो विभिन्न क्षेत्रों/मंडलों, अर्थात् पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे में कार्यरत हैं, अपने नियमितीकरण से पहले की गई अपनी सेवाओं का 50% पेंशन संबंधी लाभों के लिए गिने जाने के हकदार हैं।

12. ये सभी अपीलें तदनुसार खारिज की जाती हैं। कोई लागत नहीं।"

12. हमने मुंशी राम (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूरे निर्णय का भी अध्ययन किया है, जिसमें शामिल विवाद वर्तमान मामले में शामिल विवाद के समान ही था कि क्या कमीशन वेंडरों के मामले में, उनके आमेलन/नियमितीकरण से पहले उनके द्वारा दी गई सेवाओं का 50% पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए 'अहंकारी सेवा' के रूप में गिना जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शामिल मुद्दे पर विस्तार से विचार किया और एक निष्कर्ष पर पहुँचा जो निर्णय के पैराग्राफ 6 और 7 में दर्ज है। त्वरित संदर्भ के लिए, उन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:-

"6. पूर्वोक्त से, यह देखा जा सकता है कि पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे में कार्यरत कमीशन वेंडरों/बियरर्स के संबंध में, उन्हें उनके नियमितीकरण से पहले दी गई सेवाओं का 50% पेंशन लाभों के लिए गिने जाने का हकदार माना गया है और उन सभी कमीशन वेंडरों/बियरर्स को ऐसे लाभ प्रदान किए गए हैं। अब विवाद उत्तर रेलवे में कार्यरत कमीशन वेंडरों/बियरर्स के संबंध में है।

7. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि रेलवे के विभिन्न मंडलों/क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी एक ही नियोक्ता रेलवे बोर्ड के अधीन हैं जो रेल मंत्रालय के अधीन है। रेलवे में 16 क्षेत्र और 68 मंडल हैं। इसलिए, एक ही नियोक्ता - रेलवे बोर्ड के अधीन विभिन्न क्षेत्रों/मंडलों में कार्य

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करने वाले कर्मचारियों के साथ समान और बराबरी का व्यवहार किया जाना आवश्यक है और वे समान लाभों के हकदार हैं तथा समान व्यवहार के हकदार हैं। जैसा कि प्रत्यर्थागण की ओर से सही तर्क दिया गया है, आपस में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। परिस्थितियों में, समानता के आधार पर, उत्तर रेलवे में कार्यरत कमीशन वेंडर/बियर्स उन्हें लाभों के हकदार हैं जिनके लिए विभिन्न क्षेत्रों/मंडलों के तहत कार्यरत सभी समान रूप से स्थित कमीशन वेंडर/बियर्स हकदार माने गए हैं। एक ही नियोक्ता के अधीन कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्रों/मंडलों में कार्यरत समान रूप से स्थित कर्मचारियों - कमीशन वेंडरों/बियर्स के संबंध में अलग-अलग मानदंड/पैरामीटर नहीं हो सकते हैं।"

13. यद्यपि याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मुंशी राम (उपर्युक्त) के मामले को वर्तमान प्रत्यर्थी के मामले से अलग करने का प्रयास किया, लेकिन हमें दोनों मामलों में कोई विशिष्ट भिन्नता नहीं मिली; बल्कि, दिल्ली उच्च न्यायालय के भारत संघ और अन्य बनाम मुंशी राम : डब्ल्यू.पी. (सी) 4535/2019 के मामले के फैसले को देखने के बाद, जहाँ से मामला माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुँचा था, हम पाते हैं कि उक्त रिट याचिका भारत संघ और अन्य द्वारा अधिकरण द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी जिसने मुंशी राम को पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए थे, जिन्हें वर्ष 2015 में ग्रुप-सी पद पर आमेलित किया गया था।
14. हम आगे पाते हैं कि मुंशी राम को 1970 के दशक में कमीशन वेंडर के रूप में नियुक्त किया गया था और 13.12.1976 को रेलवे द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें संकेत दिया गया था कि कमीशन वेंडरों को नियमित रिक्तियों में उत्तरोत्तर आमेलित करने की कार्यवाही की जाएगी। उक्त मुकदमेबाजी का परिणाम मुंशी राम के पक्ष में होने के कारण, जहाँ उन्हें पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए उनके आमेलन/नियमितीकरण से पहले दी गई उनकी सेवाओं की अवधि का 50% गिनते हुए सभी स्तरों पर राहत प्रदान की गई थी, हमारी राय है कि वर्तमान प्रत्यर्थी का मामला कहीं बेहतर स्थिति में है क्योंकि वह 10.11.1975 से आकस्मिक आधार पर कमीशन वेंडर के रूप में कार्यरत था, उसके बाद उसे अस्थायी स्थिति प्रदान की गई, उसके बाद वर्ष 2007 में उसकी सेवाओं को नियमित किया गया और उसने 2014 में अधिवर्षता की आयु प्राप्त की।
15. उपरोक्त के आलोक में, मुंशी राम (उपर्युक्त) और प्रत्यर्थी के मामले के बीच कृत्रिम अंतर को स्वीकार करने का कोई अच्छा आधार प्रतीत नहीं होता है, जैसा कि हमारे समक्ष स्थापित करने का प्रयास किया गया है, बल्कि मुंशी राम जिन्हें 2015 में वर्तमान प्रत्यर्थी के 2007 में सेवा में नियमित होने के काफी समय बाद आमेलित किया गया था, उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय तक राहत मिली और इसलिए, हमारी राय है कि मुंशी राम के मामले का निर्णय प्रत्यर्थी के पक्ष में पूरी ताकत से लागू होता है।
16. यद्यपि मुंशी राम (उपर्युक्त) के मामले का निर्णय पुनर्विलोकन आवेदन के संलग्नक के रूप में अधिकरण के अभिलेख पर था, लेकिन पुनर्विलोकन आवेदन को एक अलग कारण से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, इससे इन कार्यवाहियों में हमारे द्वारा निकाले जाने वाले अंतिम निष्कर्ष में कोई बदलाव नहीं आएगा और हम पाते हैं कि एक बार जब अधिकरण ने प्रत्यर्थी की सेवा की अवधि, उसके नियमितीकरण और अधिवर्षता की तिथि पर विचार करने के बाद, निर्देश जारी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करके ओए को स्वीकार कर लिया है, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, हम अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

17. फलस्वरूप, रिट याचिका में कोई गुण दोष नहीं है और उसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

ज्योत्स्ना

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"